कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी।

Email ID-eesalmari@gmail.com

पत्रांक......350....../सालमारी, दिनांक......10/04/2026......

भाड़े पर वाहन रखने हेतु अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रण सूचना सं०– 01 / 2026–27

एतद् द्वारा सर्वसाधारण वाहन मालिक को सूचित किया जाता हैं कि बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सालमारी/दिल्ली–दिवानगंज/बारसोई अन्तर्गत तटबंध निरीक्षण/सम्पोषण कार्य/आकस्मिक कार्य/बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य/बाढ़ संघर्षात्मक कार्य इत्यादि के देख–रेख एवं अनुश्रवण हेतु भाड़े पर वाहन बोलेरो/सुमो/स्कॉरपियो के वित्तीय वर्ष 2026–27 में निर्धारित कार्यान्वित अवधि में परिचालन के लिए इच्छुक वाहन मालिकों/फर्म से निम्नरूपेण अल्पकालीन कोटेशन आमंत्रित किया जाता है।

क्र0सं0	वाहन उपयोग करने वाले पदाधिकारी का पदनाम	गाड़ी परिचालन हेतु अवधि	गाड़ी की संख्या	दर (प्रतिमाह) सभी कर सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	अ0 प्रं0 पदा0, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सालमारी/दिल्ली–दिवानगंज/बारसोई।	01.05.2026 से 31.05.2026 तक	02		
02	अ0 प्रं0 पदा0, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमंडल सालमारी, दिल्ली–दिवानगंज एवं बारसोई।	01.06.2026 31.10.2026 तक	03		

1. कोटेशन आमंत्रित सूचना निर्गत करने की तिथि :– दिनांक 10.04.2026
2. कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि :– दिनांक 27.04.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक।
3. कोटेशन जमा करने का स्थान :– बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी
4. कोटेशन खोलने की तिथि एवं समय :– दिनांक 27.04.2026 को अपराह्न 3:30 बजे
5. विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता :– कार्यपालक अभियंता, बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी।
   मो0–7463889255

10.04.26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी।

10/4/26

नियम एवं शर्तें निम्नवत है :–

1. भाड़े पर वाहन विभागीय निर्देशानुसार दिये गये अवधि तक के लिए लिया जायेगा।

2. वाहन का निबंधन व्यवसायिक वाहन के रूप में होना चाहिए एवं उन्हें व्यवसायिक उपयोग हेतु बिहार राज्य के सक्षम परिवहन प्राधिकार के स्तर से परमिट प्राप्त होना चाहिए (वाहन पीले नंबर प्लेट वाला व्यवसायिक वाहन होना चाहिए)।

3. भाड़े पर दिया जाने वाले वाहन अच्छी स्थिति में होना चाहिए इसके लिए फिटनेस प्रमाण पत्र मोटरयान निरीक्षण (MVI) से कराकर प्रस्तुत करना होगा।

4. वाहन का दैनिक रख–रखाव (चालक सहित) एवं उसके सभी प्रकार के मरम्मति, तौलिया उपलब्ध कराना एवं इसकी साप्ताहिक सफाई आदि पर होने वाले व्यय वाहन मालिक/फर्म द्वारा ही वहन किया जायेगा।

5. वाहन के भुगतान पर नियमानुसार सभी प्रकार के करों अर्थात् जी०एस०टी० आदि का भुगतान वाहन मालिक/आपूर्तिकर्ता को स्वयं करना होगा एवं अन्य शुल्क आदेयता की जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी। विभाग द्वारा किसी प्रकार के कर का भुगतान नहीं किया जायगा।

6. वाहन का कागजात टैक्स बीमा आदि मोटरयान अधिनियम अनुसार अद्यतन होना चाहिए एवं वाहन का वैध निबंधन पत्र, बीमा, रोड टैक्स एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन परिचालन के दौरान अद्यतन रखना होगा।

7. वाहन की चोरी या दुर्घटना अथवा अन्य क्षति होने पर जिम्मेदारी वाहन मालिक/फर्म का होगा।

8. वाहन के उपयोग के विरूद्व किराया प्रतिमाह ईधन रहित एवं चालक सहित देय होगा।

9. वाहन का ईधन रहित एवं चालक सहित प्रतिमाह का न्यूनतम दर के कोटेशनदाता के साथ एकरारनामा किया जायेगा। सेवा संतोषजनक नहीं होने पर अथवा वाहन की आवश्यकता नहीं रहने पर कभी भी बिना कारण बताये एकरारनामा समाप्त कर दिया जायेगा।

10. वाहन का उपयोग वाहन मालिक/वाहन आपूर्तिकर्ता निजी अथवा अन्य व्यवसायिक उपयोग में नही करेगें।

11. वाहन उपयोग हेतु 24 घंटे संबंधित पदाधिकारियों के नियंत्रण में रहेगा। वाहन खराब हो जाने पर वाहन मालिक/फर्म का दायित्व होगा की वे तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराएंगे अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन के लिए भाड़े के रूप में देय राशि के दोगुने दर से कटौती कर ली जायेगी। इच्छुक वाहन मालिक/फर्म का उक्त क्रमांक 01 से 17 तक के शर्तो को स्वीकार करने से संबंधित अपना शपथ पत्र (नोटरी द्वारा निर्गत) एवं क्रमांक 2,3,5 एवं 6 से संबंधित कागजात की सत्यापित प्रति कोटेसन के साथ समर्पित करेंगे। एक से अधिक समान न्यूनतम दर के कोटेशन प्राप्त होने पर दिनांक 27.04.2026 को 4:00 बजे अपराहन में वैध कोटेशनदाता के बीच लॉटरी के माध्यम से वाहन मालिक/फर्म का चयन किया जाएगा।

12. वाहन का किराया 24400/– (चौबीस हजार चार सौ रूपये मात्र) प्रतिमाह अधिकतम अथवा आपके द्वारा उद्वत दर में से न्यूनतम दर स्वीकार्य होगा, तथा भुगतान प्रत्येक माह के बाद विपत्र प्रस्तुत करने पर उपलब्ध आवंटन के विरूद्ध किया जाएगा।

13. चालक के पास वैध एवं अद्यतन ड्राईविंग लाईसेंस होना चाहिये।

14. विभागीय मापदंड के अनुरूप नियमानुकूल कटौती की जायेगी।

15. सशर्त कोटेशन दर मान्य नहीं होगा। कोटेशन शर्त के अनुकूल वांछित कागजात यथा GST, PAN, Registration, Aadhar Card एवं शपथ पत्र जमा नहीं किए जाने पर कोटेशन अमान्य कर दिया जाएगा।

16. जिला प्रशासन, कटिहार द्वारा वाहन के निर्धारित दर से अधिक उद्धृत किया गया दर मान्य नहीं होगा।

17. कोटेशन खुलने के समय कोटेशनदाता स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेगें। अन्यथा उनके अनुपस्थिति में कोटेशन खोला जायेगा जिसके लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

10.04.26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी
10/4/26

पत्रांक–350/सालमारी ,दिनांक–10/04/2026

प्रतिलिपि– सूचना एवं जन–सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रचारित (upload) करने हेतु एवं विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ समर्पित।

10-04-26

कार्यपालक अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, सालमारी
10/4/26